रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED No. D-222

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 9, 1971 (आश्विन 17, 1893)

No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 9, 1971 (ASVINA 17, 1893)

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## नोटिस

## (NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 8 फरवरी 1971 तक प्रकाशित किये गये हैं :

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to 8th February 1971 :—

| अंक (Issue No.) | संख्या और तिथि (No. and Date) | द्वारा जारी किया गया (Issued by) | विषय (Subject) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

शून्य

-NIL-

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazette Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines Delhi Indents should be submitted so as to reach the manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

## विषय-सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . | 847 |
| भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं | 1453 |
| भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . | 75 |
| भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . | 1155 |
| भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . . | — |
| भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . | — |
| भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . . | 3905 |
| भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . | 5065 |
| भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश . | 879 |
| भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं | 1285 |
| भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें | 369 |
| भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं . | 163 |
| भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं . . . | 2247 |
| भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें . . | 193 |
| पूरक संख्या 38— | |
| 28 अगस्त 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बंधी साप्ताहिक रिपोर्ट | 1479 |
| 38 जुलाई 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े . | 1487 |


## CONTENTS


| | PAGE |
|---|---|
| PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . | 847 |
| PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . | 1453 |
| PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence . . . . . | 75 |
| PART I—SECTION 4.—Notification regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence | 1155 |
| PART II—SECTION 1.—Arts, Ordinances and Regulations . . . . | — |
| PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills . . . . | — |
| PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) . . . . | 3905 |
| PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) . . | 5065 |
| PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence . . | 879 |
| PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India . . | 1285 |
| PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta . . | 369 |
| PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners | 163 |
| PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies . . . . . | 2247 |
| PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies . . . . | 193 |
| SUPPLEMENT NO. 38 | |
| Weekly Epidemiological Reports for weeks ending 28th August 1971 . . . . | 1479 |
| Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 7th August 1971 | 1487 |

## भाग I—खण्ड 1

## (PART I—SECTION) 1

**(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं**

## [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

### राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर 1971

सं० 65-प्रेज०/71—राष्ट्रपति मणिपुर राइफल्स के निम्नांकित अधिकारियों की उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री तोन्गदेम हाओकिप,
सूबेदार,
2री बटालियन, मणिपुर राइफल्स,
इम्फाल।

श्री सुखबीर क्षेत्री,
हवलबार सं० 530,
2री बटालियन, मणिपुर राइफल्स,
इम्फाल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

31 जुलाई, 1970 को सूचना मिली कि उखरूल सब-डिवीजन में नगैमू गांव के समीप घने जंगलों में विरोधियों का एक गिरोह पड़ाव डाले हुए था और क्षेत्र में तैनात सुरक्षा दल पर आक्रमण करने तथा छिपकर गोली चलाने की योजना बना रहा था। विरोधियों की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए श्री ज्योतिष चन्द्र गौगई की कमान में मणिपुर राइफल्स का एक दस्ता तैनात किया गया। इस दस्ते ने 3 अगस्त, 1970 को 5 बजे अपराह्न मोटर गाड़ियों में इम्फाल से प्रस्थान किया। कुछ यात्रा मोटर-गाड़ियों में तय करने के बाद लगभग छः घन्टे तक घोर अंधेरे में जोकों से भरे तथा तथा फिसलन वाले जंगलों के बीच होते हुए दस्ता पैदल चला। विरोधी शिविर में पहुंच कर दस्ता तीन टुकड़ियों में बंट गया। गिरोह को घेरने के लिए एक टुकड़ी को दाईं ओर भेजा गया दूसरी बाईं ओर और तीसरी टुकड़ी को शिविर में पर सामने से आक्रमण करने को भेजा गया। श्री हाओकिप और श्री सुखबीर क्षेत्री उस दल में थे जो गिरोह को घेरने के लिए बाईं ओर से बढ़ा था। जब ये टुकड़ियां विरोधियों से मुश्किल से 35 गज की दूरी पर थीं तो उन पर स्वाचालित हथियारों द्वारा गोली-बारी कर दी गई। मुठभेड़ के दौरान एक विरोधी ने सूबेदार हाओकिप को और दूसरे विरोधी ने हवलदार सुखबीर क्षेत्री को देख लिया दोनों विरोधियों ने अपना-अपना निशाना संभालकर गोली चलाना शुरु कर दिया। निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए श्री हाओकिप और श्री सुखबीर क्षेत्री गोलियों की बौछार के बीच आगे बढ़ते रहे। विरोधियों का स्थान जहां से गोलीबारी हो रही थी जब कोई दस गज रह गया तो श्री सुखबीर छेत्री ने रैंगना बंद कर दिया और यह जानते हुए भी कि विरोधियों द्वारा उन पर गोली चला देने की नितान्त संभावना है, सीधे खड़े हो कर उन्होंने अपने आक्रमणकारी पर गोली मारी। इसी प्रकार श्री हाओकिप ने भी अपने आक्रमणकारी को गोली से मार दिया।

मुठभेड़ में श्री तोन्गदेम हाओकिप और श्री सुखबीर क्षेत्री ने उदाहरणीय साहस तथा कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक राष्ट्रपति के पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 3 अगस्त, 1970 से दिया जाएगा।

सं० 66-प्रेज०/71—राष्ट्रपति मणिपुर राइफल्स के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री ज्योतिष चन्द्र गौगई,
कमांडेंट,
2री बटालियन, मणिपुर राइफल्स,
इम्फाल।

श्री दलजीत सिंह,
सहायक कमांडेंट,
2री बटालियन, मणिपुर राइफल्स,
इम्फाल।

श्री लोक बहादुर,
राइफलमैन सं० 2315,
2री बटालियन, मणिपुर राइफल्स,
इम्फाल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

31 जुलाई, 1970 को सूचना मिली कि उखरूल सब-डिवीजन में गांव नगैमू के समीप घने जंगलों में विरोधियों का एक गिरोह पड़ाव डाले हुए है और क्षेत्र में तैनात सुरक्षा दल पर आक्रमण करने तथा छुपकर गोली चलाने की योजना बना रहा है। विरोधियों की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए श्री ज्योतिष चन्द्र गौगई की कमान में मणिपुर राइफल्स का एक दस्ता तैनात किया गया। इस दस्ते ने 3 अगस्त, 1970 को 5 बजे अपराह्न मोटर गाड़ियों में इम्फाल से प्रस्थान किया। कुछ यात्रा मोटर गाड़ियों में तय करने के बाद लगभग छः घन्टे तक घोर अंधेरे में जोकों से भरे तथा फिसलन वाले जंगलों के बीच होकर दस्ता पैदल चला। विरोधी शिविर में पहुंच कर दस्ता तीन टुकड़ियों में बंट गया। गिरोह पर घेरा डालने के लिए एक टुकड़ी को

दाईं ओर भेजा गया, दूसरी को बाईं ओर और तीसरी टुकड़ी को शिविर पर सामने से आक्रमण करने को भेजा गया। विरोधी अनुकूल स्थिति में थे क्योंकि उन्होंने वहां के पेड़ काट दिए थे और इसलिए अपने कैम्प के सामने का क्षेत्र स्पष्ट रूप से देख सकते थे और वहां से आने वाले संकट की पूर्व सूचना पाने में समर्थ थे जबकि दूसरा पक्ष इस सुविधा से वंचित था। फिर भी सर्वश्री गौगई और दलजीत सिंह के नेतृत्व वाली टुकड़ी जब शिविर से लगभग 35 गज की दूरी पर थी, तो विरोधियों ने स्वालित हथियों से उन पर गोली चला दी। भारी गोलीबारी से न घबराते हुए श्री गौगई और श्री दलजीत सिंह आगे बढ़ते रहे और आक्रमण के वेग को बनाए रखने के लिए अपने जवानों को प्रोत्साहित करते रहे और अन्त में उन्होंने शिविर पर आक्रमण कर दिया। विरोधियों के साथ लगभग 45 मिनट तक मुठभेड़ होती रही जिसके पणिामस्वरूप 5 विरोधी मारे गए और 2 पकड़े गए। इस भीषण मुठभेड़ के बाद विरोधी भाग निकले। विरोधियों के तितर-बितर होने तथा उनके भागने से पूर्व श्री दलजीत सिंह अपने दल से निकलकर आगे की ओर बढ़े और एक विरोधी पर टूट पड़े, जो मणिपुर राइफल्स के जवानों पर हथगोला फेंकने ही वाला था। गोली चलते समय एक विरोधी गिरोह के दाईं ओर से छलांग लगा कर राईफलमैन श्री लोक बहादुर के सामने आ गया। राईफलमैन और विरोधी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समीप थे। खतरे की परवाह न करते हुए श्री लोक बहादुर ने विरोधी पर गोली चलाई और उसे मौत के घाट उतार दिया।

मुठभेड़ में श्री ज्योतिष चन्द्र गौगई और श्री दलजीत सिंह तथा श्री लोक बहादुर ने उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप श्री लोक बहादुर को नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 3 अगस्त, 1970 से दिया जाएगा।

सं० 67-प्रेज०/71—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री प्रहलाद किशोर महरोत्रा,
पुलिस उप-अधीक्षक,
बदायूं,
उत्तर प्रदेश। (स्थानापन्न)

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के पुलिस थाना बिल्सी का पंजाब सिंह एक कुख्यात अपराधी था। उसने कई हत्यायें की थीं। 24 मई, 1970 को जब गांव अकौली का एक निवासी श्री राम किशन पंजाब सिंह द्वारा अपने लड़के के अपहरण के बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए थाने गया, तो पंजाब सिंह और उसके साथियों ने दिन-दहाड़े उसका मकान लूट लिया। अपराधी को पकड़ने के लिए बिल्सी पुलिस थाने के थाना अधिकारी ने श्री पी० के० महरोत्रा को कहा। 25 मई, 1970 को श्री महरोत्रा के नेतृत्व में पुलिस दल ने गांव को घेर लिया। पुलिस दल को चार भागों में बांट दिया गया। तीन दलों का नेतृत्व तो पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा किया जा रहा था और चौथा दल श्री महरोत्रा के चार्ज में था। गांव को पुलिस द्वारा घेरे जाने के बारे में सूचना पंजाब सिंह को मिली। वह अपने घर से भाग कर एक मकान की छत पर चढ़ गया और पुलिस दल पर गोली चलाने लगा। श्री महरोत्रा ने पंजाब सिंह से आत्म-समर्पण करने को कहा किन्तु आत्म-समर्पण करने के बजाय पंजाब सिंह ने पुलिस दल पर हथगोला फेंक कर दो कांस्टेबिलों को गम्भीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद पुलिस दल और पंजाब सिंह के बीच भारी गोलाबारी हुई। गोलाबारी के दौरान पंजाब सिंह ने श्री महरोत्रा पर गोली चलाई किन्तु श्री महरोत्रा बाल-बाल बचे। श्री महरोत्रा ने फिर पंजाब सिंह को आत्म-समर्पण करने के लिए अन्तिम चेतावनी दी किन्तु जब उनकी चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो वे अपनी निजी सूरक्षा तथा पंजाब सिंह की भारी गोलाबारी की परवाह न करते हुए, रेंग कर डाकू की ओर गए। जैसे ही पंजाब सिंह गोली चलाने के लिए अपना सिर उठाया श्री महरोत्रा ने उस पर गोली चला कर मार गिराया।

इस मुठभेड़ में श्री प्रहलाद किशोर महरोत्रा ने केवल साहस ही नहीं विशिष्ट नेतृत्व और दृढ़ निश्चय का भी परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 मई, 1970 से दिया जाएगा।

नागेन्द्र सिंह,
राष्ट्रपति के सचिव

---

**मंत्रिमंडल सचिवालय**

**(कार्मिक विभाग)**

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्तूबर 1971

**नियम**

सं० 8/36/71-के० से० (II)—सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल द्वारा अप्रैल, 1972 में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II के लिए प्रवरण सूची में सम्मिलित करने के लिए एक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

2. प्रवरण सूची में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या स्कूल द्वारा जारी किये गये नोटिस में बता दी जाएगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में आरक्षण सरकार के निश्चय के अनुसार किए जाएंगे।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों का अर्थ है बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1956, संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नागर हवेली), अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश,

1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश ) आदेश, 1967, संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 तथा संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968 और संविधान (नागालैंड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970 के साथ पठित अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1966 में उल्लिखित कोई भी जाति या आदिम जाति ।

3. सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट-1 में विहित विधि से किया जायगा ।

किस तारीख को और किन-किन स्थानों पर परीक्षा ली जायगी, इस का निर्धारण स्कूल करेंगे ।

4. **पात्रता की शर्तें**—केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड III में नियमित रूप से नियुक्त कोई भी स्थायी अथवा अस्थायी अधिकारी, जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है, परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा ।

(क) सेवावधि :—इस सेवा के ग्रेड III में निर्णायक तारीख, अर्थात् 1-8-72 को उसकी कम से कम तीन वर्ष की अनुमोदित और लगातार सेवा होनी चाहिए ।

टिप्पणी :—ग्रेड III के जो अधिकारी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निःसंवर्ग पदों पर प्रतिनियुक्ति पर है, और जिनका केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड III में धारणाधिकार है, यदि अन्यथा पात्र हैं, तो इस परीक्षा में सम्मिलित किए जाने के लिए पात्र होंगे ।

(ख) **आयु** :—उसकी आयु 1 अगस्त, 1972 को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

**टिप्पणी** :—40 वर्ष की आयु सीमा केवल सन् 1972 और सन् 1973 में ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए लागू होगी । इसके बाद 35 वर्ष आयु सीमा होगी ।

(ग) ऊपर निर्धारित आयु सीमा में यथास्थिति निम्नलिखित और छूट दी जायगी :—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक;

(ii) यदि उम्मीदवार पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद प्रव्रजन कर भारत आया हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो और पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद प्रव्रजन कर भारत आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक ;

(iv) यदि उम्मीदवार संघराज्य क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी हो और किसी स्तर पर उसकी शिक्षा फ्रेंच भाषा के माध्यम से हुई हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक;

(v) यदि उम्मीदवार लंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर 1964 के भारत लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद लंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिकतम तीन वर्ष तक ;

(vi) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा लंका से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद लंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम आठ वर्ष तक;

(vii) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दीव का निवासी हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(viii) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या उगांडा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजित हो तो अधिकतम 3 वर्ष ;

(ix) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक।

(x) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिकतम आठ वर्ष तक;

(xi) किसी दूसरे देश से झगड़ों के दौरान अथवा उपद्रव ग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों को करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से विनिर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिकी के मामलों में अधिकतम तीन वर्ष ; और

(xii) किसी दूसरे देश से झगड़ों के दौरान अथवा उपद्रव ग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियां करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी में विनिर्मुक्त, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से संबंधित रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में, अधिकतम 8 वर्ष तक ।

उपर्युक्त बातों के अलावा ऊपर निर्धारित आयु सीमा में और किसी हालत में छूट नहीं दी जायगी ।

(घ) **आशुलिपि परीक्षण** :—जब तक कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-3 में पुष्टिकरण या बने रहने के प्रयोजन के लिए स्कूल का आशुलिपि परीक्षण उत्तीर्ण करने से छूट न मिल गई हो, उसने परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या उससे पूर्व यह परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया हो ।

**टिप्पणी** :—ग्रेड-3 के जो आशुलिपिक सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग-बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं और जिनका

इस सेवा के ग्रेड-3 में धारणाधिकार है, यदि अन्यथा पात्र हों, तो परीक्षा में सम्मिलित किए जाने के पात्र होंगे ।

तथा यह बात ग्रेड-3 के उन आशुलिपिकों पर लागू नहीं होती जो स्थानान्तरित रूप में निःसंवर्गीय पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त किए गए हों और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-3 में धारणाधिकार न रखते हों ।

5. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में स्कूल का निर्णय अन्तिम होगा ।

6. यदि किसी उम्मीदवार के पास स्कूल का प्रवेश-पत्र (सार्टिफिकेट आफ एडमिशन) न होगा तो उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जायगा ।

7. उम्मीदवारों को स्कूल की विज्ञप्ति के परिशिष्ट (I) में निर्धारित शुल्क देना होगा ।

8. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो स्कूल द्वारा उसका आचरण ऐसा समझा जाएगा कि जिसके कारण उसे परीक्षा में बैठने के लिए आयोग्य करार दिया जाएगा ।

9. यदि कोई उम्मीदवार स्कूल द्वारा इस बात के लिए दोषी घोषित किया जाए या कर दिया गया हो कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत किये हैं या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं जिन में हेरा-फेरी की गई है या गलत या झूठ वक्तव्य दिए हैं या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया है या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए किसी और अनियमित या अनुपयुक्त तरीके से काम लिया है या परीक्षा भवन में अनुचित तरीकों को काम में लिया या काम में लाने की कोशिश की है या परीक्षा भवन में कोई अनुचित आचरण किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्राजीक्यूशन) चलाया जा सकता है और साथ ही :—

(क) उम्मीदवारों के चुनाव के लिए स्कूल उसे हमेशा के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए, अपने द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या साक्षात्कार (इन्टरव्यु) में शामिल होने से रोक सकता है ।

(ख) उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है ।

10. परीक्षा के पश्चात् प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कुल अंकों के आधार पर स्कूल द्वारा उनकी योग्यता-क्रम से सूची बनाई जायगी और उसी क्रम के अनुसार स्कूल उस परीक्षा में जितने उम्मीदवारों को सफलता प्राप्त समझेगा, उनके नाम, अपेक्षित संख्या तक, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड II की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए सिफारिश करेगा ।

परन्तु यदि सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों तो आरक्षित कोटा में कमी पूरी करने के लिए, चाहे परीक्षा की सूची के क्रम में उनका कोई भी स्थान हो, यदि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड II की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए ये उम्मीदवार उपयुक्त हों तो स्कल द्वारा स्तर में छूट देकर नियुक्ति के लिए सिफारिश किए जा सकेंगे ।

**टिप्पणी** :—उम्मीदवारों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा (क्वालीफाईंग एग्जेमिनेशन) । इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की ग्रेड II की प्रवरण सूची में कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल किये जाएं; इसका निर्णय करने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम है । इसलिए कोई भी उम्मीदवार अधिकार के तौर पर इस बात का कोई दावा नहीं कर सकेगा कि उसके द्वारा परीक्षा में किए गए निष्पादन के आधार पर उसका नाम प्रवरण-सूची में शामिल किया ही जाय ।

11. हर एक उम्मीदवार के परीक्षाफल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाय, इसका निर्णय स्कूल अपने विवेकानुसार करेगा और स्कूल के परिणामों के बारे में उनसे कोई पत्रव्यवहार नहीं करेगा ।

12. परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने मात्र से ही चुनाव का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद सन्तुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार चुनाव के लिए हर प्रकार से पात्र और उपयुक्त है ।

13. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन-पत्र देने के बाद या परीक्षा में बैठ जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अपने पद से त्याग पत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा या जिसकी सेवाएं उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई हों या किसी निःसंवर्गीय पद या दूसरी सेवा में "स्थानान्तरण" द्वारा नियुक्त किया जा चुका हो और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड III में धारणाधिकारी न हो, वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

तथापि, यह ग्रेड III के उस आशुलिपिक पर लाभ नहीं होता, जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति के रूप में नियुक्त किया जा चुका हो ।

एम० के० वासुदेवन, अवर सचिव

---

**परिशिष्ठ**

1. लिखित परीक्षा के विषय , तथा प्रत्येक विषय के लिए दिया गया समय तथा पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

भाग क—लिखित परीक्षा

| विषय | दिया गया समय | पूर्णांक |
|---|---|---|
| 1. अंग्रेजी | 3 घंटे | 100 |
| 2. सामान्य ज्ञान | 3 घंटे | 100 |

भाग—ख—हिन्दी या अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षा (लिखित परीक्षा में उतीर्ण होने वालों के लिए) 200 अंक

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को अपने आशुलिपि नोट टंकण मशीन से लिप्यंतरित करने होंगे, और इस प्रयोजन के लिए उन्हें अपनी टंकण मशीन लानी होगी ।

भाग—ग—ऐसे उम्मीदवारों के सेवा अभिलेख का मूल्यांकन, जो स्कूल द्वारा अपने विवेकानुसार निर्णीत किए जाएंगे, अधिकतम 100 अंक ।

2. लिखित परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण तथा आशुलिपि की परीक्षाओं की योजना इस परिशिष्ट की संलग्न अनुसूची में दिए गए अनुसार होगी ।

3. उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्र II का उत्तर हिन्दी देवनागरी या अंग्रेजी में लिखने की छूट है । यह छूट पूर्ण प्रश्न पत्र के लिए लागू होगी न कि उसमें किसी भाग के लिए ।

जो उम्मीदवार पूर्वोक्त प्रश्न पत्र हिन्दी (देवनागरी) में लिखने का विकल्प लेंगें उन्हें आशुलिपि की परीक्षा भी केवल हिन्दी (देवनागरी) में ही देनी होगी, और जो उम्मीदवार पूर्वोक्त प्रश्नपत्र अंग्रेजी में लिखने का विकल्प लेंगे उन्हें आशुलिपि की परीक्षा भी केवल अंग्रेजी में ही देनी होगी ।

टिप्पणी— 1:—जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान का II प्रश्न-पत्र का उत्तर तथा आशुलिपि की परीक्षाओं में हिन्दी में लिखने के इच्छुक हों, वे यह विकल्प आवेदन पत्र के कालम 6 में लिखें । अन्यथा यह माना जायेगा कि उम्मीदवार लिखित परीक्षा तथा आशुलिपि की परीक्षाओं में अंग्रेजी में लिखेंगे ।

एक बार का विकल्प अन्तिम समझा जायेगा, और उक्त कालम में कोई परिवर्तन करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

टिप्पणी— 2:—जो उम्मीदवार उपर्युक्त पैरा 3 के अनुसार विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में परीक्षा देना चाहते हैं, और सामान्य ज्ञान के II प्रश्न पत्र का उत्तर तथा आशुलिपि की परीक्षाओं में हिन्दी में लिखना चाहते हैं, उन्हें अपने निजी व्यय पर आशुलिपि की परीक्षाएं देने के लिए विदेश में किसी ऐसे भारतीय मिशन में, जहां ऐसी परीक्षाएं लेने के आवश्यक प्रबंध हों, आना पड़ सकता है ।

4. लिखित परीक्षा का अंग्रेजी प्रश्न-पत्र (1) का उत्तर सभी उम्मीदवारों द्वारा अंग्रेजी में देना अनिवार्य है ।

5. जो उम्मीदवार 120 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे वे 100 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में वही स्तर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से क्रम में ऊपर होंगे । प्रत्येक वर्ग में उम्मीदवारों को प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए कुल अंकों के अनुसार, पारस्परिक प्रवरता अनुक्रम से रखा जाएगा (निम्नलिखित अनुसूची का भाग (ख) को देखें ।

6. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे । किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

7. स्कूल अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित करेगा ।

8. केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आशुलिपि परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा जो स्कूल द्वारा अपने विवेकानुसार नियत किए गए न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेंगे ।

9. केवल सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे ।

10. अस्पष्ट लिखावट के कारण, लिखित विषयों के अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत अंक तक काट दिए जाएंगे ।

11. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष लिहाज रखा जाएगा कि भाषाभिव्यक्ति आवश्यकतानुसार कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है ।

## अनुसूची

### भाग —क

### परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण

टिप्पणी:—भाग "क" के प्रश्न-पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होता है ।

अंग्रेजी :—यह प्रश्न-पत्र इस रूप से तैयार किया जाएगा, जिससे उम्मीदवारों के अंग्रेजी—व्याकरण और निबन्ध रचना के ज्ञान की तथा अंग्रेजी भाषा को समझने और शुद्ध अंग्रेजी लिखने की उनकी योग्यता की जांच हो जाए । अंक देते समय वाक्य-विन्यास/सामान्य अभिव्यक्ति और भाषाकौशल को ध्यान में रखा जाएगा । इस प्रश्न-पत्र में निबन्ध लेखन, सारलेखन, मसौदा-लेखन, शब्दों का शुद्ध प्रयोग, आसान मुहावरों और उपसर्ग (प्रोपोजीशन) डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आदि शामिल किए जा सकते हैं ।

सामान्यज्ञान:—निम्नलिखित विषयों की थोड़ी बहुत जानकारी :—भारत का संविधान, पंचवर्षीय योजनाएं, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारत का सामान्य और आर्थिक भूगोल, सामयिक घटनाएं, सामान्य विज्ञान तथा दिन-प्रति-दिन नजर आने वाली ऐसी बातें जिनकी जानकारी पढ़े लिखे व्यक्ति को होनी चाहिए । उम्मीदवारों के उत्तर से यह प्रकट होना चाहिए कि उन्होंने प्रश्नों को अच्छी तरह समझा है । उनके उत्तरों से किसी पाठ्य-पुस्तक के ब्यौरेवार ज्ञान की अपेक्षा नहीं की जाती ।

### भाग—ख

### आशुलिपि परीक्षाओं की योजना

अंग्रेजी में आशुलिपि की परीक्षाओं में दो डिक्टेशन परीक्षाएं होंगी—एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिए और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिए जो उम्मीदवारों को क्रमशः 45 तथा 50 मिनटों में लिप्यंतर करने होंगे ।

हिन्दी में आशुलिपि की परीक्षाओं में दो डिक्टेशन परीक्षाएं होंगी—एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिए और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिए जो उम्मीदवारों को क्रमशः 60 तथा 65 मिनटों में लिप्यंतर करने होंगे ।

**इस्पात और खान मन्त्रालय**

**(इस्पात विभाग)**

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितम्बर, 1971

**संकल्प**

सं० आर०एम०-5(6)/70—उष्मसह विशेषज्ञ समिति की स्थापना के बारे में भारत के तारीख 6-2-71 के राजपत्र में प्रकाशित तारीख 7-1-71 के संकल्प संख्या 5(6)/70 (समय-समय पर यथा संशोधित) का आंशिक आशोधन करते हुए भारत सरकार ने इस समिति में श्री जे० सी० बनर्जी के स्थान पर केन्द्रीय कांच तथा मृतिका अनुसन्धान संस्थान, जादवपुर के वैज्ञानिक श्री डी० एन० नन्दी को तत्काल समिति का सदस्य नियुक्त किया है।

**आदेश**

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाए।

म० रामजी, उप-सचिव

---

**(औद्योगिक विकास मंत्रालय)**

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर 1971

**संकल्प**

सं० 34(8)/69-को०इण्ड०—इस मंत्रालय के संकल्प सं० 34(8)/68-एल०इण्ड०(11)(2) दिनांक 15 अक्टूबर, 1969 को जारी रखते हुए, एवं 27 अप्रैल, 1970 तथा 31 अक्तूबर, 1970 के संकल्प के साथ पढते हुए, सरकार ने श्री बी० के० पी० छिब्बर अधीक्षण अभियन्ता (तापसह), बोकारो स्टील लि०, बोकारो स्टील सिटी को तापसह उद्योग की नामिका में सदस्य के रूप में शामिल करने का निश्चय किया है।

**आदेश**

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

प० सीतारामन, उप-सचिव

---

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय**

**(परिवार नियोजन विभाग)**

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर, 1971

**संकल्प**

सं० 3-28/71-नीति—कार्यकुशलता को सुधारने और निर्णय करने में शीघ्रता लाने की दृष्टि से भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि भारत सरकार की सामान्य देख-रेख में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (परिवार नियोजन विभाग) में एक परिवार नियोजन बोर्ड गठित किया जाए।

2. परिवार नियोजन बोर्ड का गठन इस प्रकार होगा :—

| | |
|---|---|
| 1. संयुक्त सचिव (प०नि०) परिवार नियोजन विभाग | अध्यक्ष |
| 2. आयुक्त, परिवार नियोजन | सदस्य |
| 3. विक्रय प्रबंधक | सदस्य |
| 4. उप सचिव (प्रबंध) | सदस्य |
| 5. प्रमुख अधिकारी (प्रचार) | सदस्य |
| 6. आन्तरिक वित्तीय सलाहकार | सदस्य |
| 7. उप सचिव (नीति) परिवार नियोजन विभाग | सदस्य सचिव |

3. **बोर्ड के कार्य** :-

(1) परिवार नियोजन कार्यक्रम से सम्बंधित सभी मामलों पर निर्णय देना जिनमें संसद् द्वारा पारित बजट व्यवस्था और परिवार नियोजन विभाग को दी गई शक्तियों के अन्तर्गत वित्तीय सस्वीकृतियां भी सम्मिलित है;

(2) परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति की समय समय पर संवीक्षा करना और ऐसी रिपोर्टें और विवरणियां निर्धारित करना जिन्हें वह इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझें;

(3) राज्यों और परिवार नियोजन कार्यक्रम से सम्बन्धित दूसरे मंत्रालयों/विभागों को दी जाने वाली सहायता के प्रतिमानों और उनमें संशोधन के सभी प्रस्तावों पर विचार करना;

(4) इस कार्यक्रम के लिए योजनागत आंबटनों और वार्षिक योजनागत परिव्यय सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार करना।

(5) इन कार्यक्रमों की क्रियान्विति में यदि कोई कमी और त्रुटि हो, तो उनका पता लगाना और जहां कहीं आवश्यक हो वहां उन्हें ठीक करने के उपाय सुझाना;

(6) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों की पूर्ति के साथ-साथ यह निश्चित करने के लिए कि कोई आंबटित धन-राशि अनावश्यक रूप में वापिस न हो वित्तीय परिव्ययों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना;

(7) परिवार नियोजन विभाग के अधिकारियों को दी जाने वाली प्रशासनिक और वित्तीय, दोनों प्रकार की ऐसी शक्तियों की समय-समय पर जांच-पड़ताल करना और उन्हें अनुमोदित करना जो वह आवश्यक समझें।

**आदेश**

1. आदेश है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेज दी जाए।

2. आदेश है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

कौशल कुमार दास, सचिव

---

**शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय**

**(संस्कृति विभाग)**

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर, 1971

सं० एफ० 22-1/69-सी०ए०-1(2)—शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 मार्च, 1971 का आंशिक संशोधन करते हुए, श्री गुरबचन सिंह, आई०ए०एस० के स्थान पर श्री बख्शीश सिंह निज्जर को, जो अभिलेखागार निदेशालय, पंजाब की देखभाल कर रहे हैं, भारतीय

ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के साधारण सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है।

फिलहाल उनकी नियुक्ति की अवधि 31 अक्तूबर, 1971 तक होगी।

सरन सिंह, अवर सचिव

---

**नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय**

**(परिवहन पक्ष)**

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर 1971

**संकल्प**

सं० 6-पी०जी०(26)/71—भारत सरकार को कोचीन पत्तन की 1969-70 की प्रशासन रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। रिपोर्ट के मुख्य तथ्य नीचे दिए जा रहे हैं :—

**1 वित्तीय परिणाम**

1969-70 से कोचीन पत्तन के लेखा वाणिज्यिक सिद्धांतों पर आधारित संशोधित फार्मों में तैयार किया गया है और पत्तन न्यास के विचाराधीन वर्ष की आय का हिसाब और व्यय हिसाब प्रोदभवन के आधार पर रखा गए गया है।

1969-70 के दौरान पत्तन की कुल आय 41455 लाख रुपये (370.06 लाख परिचालन आय और 44.49 लाख रुपये वित्त और विविध आय) थी और आरक्षण और ऋण अदायगी के विनियोजनों को छोड़कर कुल व्यय 365.65 लाख रुपये (281.73 लाख रुपये चालन व्यय और 83.92 लाख रुपये वित्त और विविध व्यय) हुआ। इस प्रकार कुल बचत 48.90 लाख रुपये हुई। सरकारी और बाहरी ऋणों की अदायगी की व्यवस्था सहित हस्तान्तरणों के बाद 27.13 लाख रुपये की निवल बचत हुई।

लेखा विधि की संशोधित पद्धति प्रारम्भ करने से पुनर्नवन और प्रतिस्थापन निधि और राजस्व आरक्षण निधि समाप्त कर दी गई है। "दुर्घटना निधि" का नाम बदल कर "सामान्य बीमा निधि" कर दिया गया है। सीधी रेखा प्रणाली के अनुसार मूल्य ह्रास की व्यवस्था परिसंपत्तियों के ऐतिहासिक मूल्य पर की जा रही है। सर्वप्रथम वर्ष 1969-70 के लिए मूल्य ह्रास के लिए 25.30 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था परिसंपत्तियों की प्रत्यक्ष जांच होने तक तदर्थ आधार पर की गई है।

वित्तीय वर्ष 1969-70 के अंत में विभिन्न आरक्षण निधियों के अधिशेषों की स्थिति संतोषजनक थी। इन निधियों के अधिशेष निम्न प्रकार थे :—

| | |
|---|---|
| पूंजीगत आरक्षण | 862.73 लाख रुपये |
| सामान्य आरक्षण निधि | 301.85 लाख रुपये |
| सामान्य बीमा निधि | 31.96 लाख रुपये |
| कनहारी आरक्षण | 47.59 लाख रुपये |

वित्तीय वर्ष के अन्त में पत्तन का कुल पूंजीगत ऋण 608.13 लाख रुपये था जिसमें 561.77 लाख रुपये सरकार का और 46.36 लाख रुपये का ऋण अन्य सूत्रों से ऋण है।

271GI/71

**2 यातायात**

इस पत्तन पर के यातायात की मात्रा में कमी आयी, इससे पिछले वर्ष यह मात्रा 51.90 लाख टन थी और 1969-70 में यह घटाकर 47.94 लाख टन रह गयी। 1968-69 में 14.07 लाख टन माल का निर्यात हुआ था। विचाराधीन वर्ष में इसमें कुछ वृद्धि हुई है और 14.25 लाख टन का निर्यात हुआ। परन्तु आयात में कमी हुई और गत वर्ष के 37.83 लाख टन की तुलना में में वर्ष 1969-70 में आयात यातायात 33.68 लाख टन हुआ। आयात में महत्वपूर्ण कमी मुख्यत: खाद्यान्नों, कच्चे तेल और उर्वरक के आयात में कमी होने के कारण हुई।

**नौवहन**

पालपोतों को छोड़कर 1969-70 में इस पत्तन पर जो पोत आए उनकी संख्या 1060 थी। और उनका निवल रजिस्ट्री टनभार 48.67 लाख था। इससे पिछले वर्ष की संगत संख्याएं 1083 और 49.49 लाख एन० आर०टी० थीं। 9263 कुल टनभार के 70 माल पोत विचाराधीन वर्ष में इस पत्तन पर और जबकि 1968-69 में 9754 टन भार के 85 माल पोत आए थे।

**3 पूंजीगत व्यय**

योजना निर्माण कार्य पर कुल 130.13 लाख रुपये का व्यय हुआ और गैर-योजना निर्माण कार्यों पर 3.45 लाख रुपये का अधिकांशत: इस खर्च को सरकारी ऋण (130.00 लाख रुपये) द्वारा पूरा किया गया और आंशिक रूप में पत्तन के साधनों (3.58 लाख रुपये)।

विचाराधीन वर्ष के दौरान पूरे किए गए अथवा जारी निर्माण कार्यों में से कुछ महत्वपूर्ण कार्य नीचे दिए जा रहे हैं :—

1. इर्नाकुलम घाट के दक्षिण में खुली घाट का निर्माण।
2. 400′×90′ गोदाम का निर्माण।
3. वर्कशाप क्षेत्र में संयुक्त संरचना वर्कशाप और बेल्डिंग दुकान का निर्माण।
4. दक्षिण टैंकर घाट में अग्नि तिरौंदा के लिए नौबंध सुविधाओं की व्यवस्था।
5. अग्नि तिरौंदा के लिए दक्षिण टैंकर पर दो कर्ष डालफिनों का निर्माण।
6. अर्ध विद्युत चालित 10 टन की ऊपरी फ्रेम को चालू करना।
7. 500 कि०वा० जनित्र सैट लगाना।

**जारी निर्माण कार्य**

1. खुली घाट में स्टेकिंग यार्ड।
2. विलिंगडन द्वितीय पानी प्रदाय में सुधार।
3. तेल टैंकर बर्थ पर नियत अग्नि शमन संस्थापन की व्यवस्था।
4. उत्तरी टैंकर घाट में अतिरिक्त फेंडुर डालफिनों की व्यवस्था।
5. दक्षिण टैंकर घाट में कर्ष डालफिनों का निर्माण।

6. इर्नाकुलम नौमार्ग में खुले घाट का विस्तार।

7. खुले घाट के लिए चार घाट क्रेनों की खरीद।

**श्रम तथा कल्याण उपाय**

विचाराधीन वर्ष में श्रमिक प्रबंध संबंध मैत्रीपूर्ण रहे। श्रमिकों के हितों के लिए रक्षोपाय किए गए और कल्याणोपाय पूर्ववत पत्तन की शाखा के द्वारा किए गए।

5. सरकार विचाराधिन वर्ष में कोचीन पत्तन न्यास बोर्ड द्वारा किये गये कार्य को संतोष की दृष्टि से देखती है।

**आदेश**

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० नारायणन, संयुक्त सचिव

## सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर, 1971

**संकल्प**

सं० ई० एल०-दो-34(37)/71—उत्तरीय क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के पुनर्गठन के संबंध में इस मंत्रालय के संकल्प सं० ई०एल०-दो-34(37)/71, दिनांक 17 जून, 1971 में वर्तमान इन्दराज सं० (8) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित कर दिया जाए :—

(8) अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड।

**आदेश**

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को जम्मू व कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की सरकारों और दिल्ली और चंडीगढ़ के संघीय क्षेत्रों, भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड, भारत सरकार के मंत्रालयों, प्रधान मंत्री सचिवालय राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

श्री ना० शिंदे, संयुक्त सचिव

## श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय

**(श्रम और रोजगार विभाग)**

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर 1971

**संकल्प**

सं० ए०-11016/1/70 एल० आर०-4 भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 1, खण्ड-1, तारीख 19 जुलाई, 1969, में प्रकाशित संकल्प संख्या 31/7/68-एल० आर०-4, तारीख 19 जुलाई, 1969 द्वारा भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वचालित समिति की समयावधि को, जिसे संकल्प संख्या ए०-11016/1/70-एल०आर०-4, तारीख 20 जन, 1970 द्वारा 28 फरवरी, 1971 तक और संकल्प संख्या ए०-11016/1/70-एल०आर०-4, तारीख 6 जनवरी, 1971 द्वारा 31 मई, 1971 तक तथा संकल्प संख्या ए०-11016/1/70-एल०आर०-4, तारीख 21 मई, 1971 तक बढ़ाया गया था, एतद्द्वारा आगे 31 दिसम्बर, 1971 तक या समिति का काम पूरा होने के दिन तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

**आदेश**

आदेश दिया जाता है कि यह आदेश भारत के राजपत्र भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशित किया जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों तथा अन्य सभी संबंधित पक्षों को भेजी जाये।

आर० अनंदाकृष्ण, संयुक्त सचिव

## PRESIDENT SECRETARIAT

*New Delhi, the 23rd September, 1971*

*No. 65-Pres./71.*—The President is pleased to award the President's Police & Fire Services Medal for gallantry to the under-mentioned officers of Manipur Rifles :—

*Names and Ranks of the officers*

Shri Tongdem Haokip,
Subedar,
2nd Battalion,
Manipur Rifles,
Imphal.
Shri Sukhbir Chhetri,
Havildar No. 530.
2nd Battalion,
Manipur Rifles,
Imphal.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

On 31st July, 1970, information was received that a gang of hostiles was camping in thick jungles near village Ngaimu in Ukhrul Sub-division and were planning to attack and snipe at Security Forces deployed in the area. In order to prevent the hostiles from committing the lawless activities a column of the Manipur rifles was detailed under the command of Shri Joytish Chandra Gogoi. The column left Imphal at 1700 hours on 3rd August, 1970, in motor vehicles. After covering part of the journey in vehicles, the column walked through the leech infested and slippery jungles in pitch darkness for about six hours. On reaching the hostile camp, the column was divided into three groups. While one of the groups was sent from the right flank the other was sent from the left flank to encircle the gang and the third proceeded to attack the camp from the front. Shri Tongdem Haokip and Shri Sukhbir Chhetri were members of the group which moved from the left flank to encircle the gang. As these groups were barely 35 yards from the hostiles, they opened fire on the column with automatic weapons. During the course of the encounter one hostile spotted Subedar Haokip and the other hostile spotted Havildar Chhetri. Both the hostiles started firing on their respective targets. Unmindful of the personal safety Shri Haokip and Shri Chhetri continued to advance amidst flying bullets. On reaching about ten yards of the place from where the hostiles were firing, Shri Sukhbir gave up crawl and stood up and shot his assailant in disregard of the imminent possibility of himself being shot by the hostiles. Similarly Shri Haokip also shot dead his assailant.

In the encounter both Shri Tongdem Haokip and Shri Sukhbir Chhetri exhibited examplary courage and devotion to duty.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the President's Police

& Fire Services Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 3rd August, 1970.

*The 23rd September 1971*

*No. 66-Pres./71.*—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of Manipur Rifles :—

*Names and Ranks of the officers*

Shri Joytish Chandra Gogoi,
2nd Battalion,
Manipur Rifles,
Imphal.

Shri Daljit Singh,
Assistant Commandant,
2nd Battalion,
Manipur Rifles,
Imphal.

Shri Lok Bahadur,
Rifleman No. 2315,
2nd Battalion,
Manipur Rifles,
Imphal.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

On 31st July, 1970 information was received that a gang of hostiles was camping in thick jungles near village Ngaimu in Ukhrul Sub-Division and were planning to attack and snipe at Security Forces deployed in the area. In order to prevent the hostiles from committing the lawless activities, a column of the Manipur rifles was detailed under the command of Shri Joytish Chandra Gogoi. The column left Imphal on 3rd August. 1970, at 1700 hours in motor vehicles. After covering part of the journey in vehicles the column walked through leech infested and slippery jungles in pitch darkness for about six hours. On reaching the hostile camp, the column was divided into three groups. While one of the groups was sent from the right flank the other was sent from the left flank to encircle the gang and the third proceeded to attack the gang from the front. The hostiles were in an advantageous position as they had cut the trees and were therefore able to have clear view of the area in front of the camp to have warning of the approaching danger while the other party was deprived of this facility. However when the group headed by Sarvashri Gogoi and Daljit Singh was about 35 yards from the camp, the hostiles opened fire on the group with automatic weapons. Unruffled by heavy firing Shri Gogoi and Shri Daljit Singh continued to advance and encourage their men to maintain the tempo of the attack and they finally charged on the camp. The encounter with the hostiles lasted for about 45 minutes, as a result of which five hostiles were killed and two were captured. The hostiles fled away after the fierce encounter. Before the hostiles broke off and fled away, Shri Daljit Singh rushed ahead of his group and threw himself at a hostile who was about to throw a hand grenade on the personnel of the Manipur rifles. While firing, one of the hostiles jumped over the gang on the right side and came in front of Shri Lok Bahadur, Rifleman. Both the rifleman and the hostiles were in point blank range of each other. Unmindful of the danger, Shri Lok Bahadur fired at the hostile and killed him.

In the encounter Shri Gogoi and Shri Daljit Singh and Shri Lok Bahadur exhibited conspicuous bravery.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently in the case of Shri Lok Bahadur, the award carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 3rd August, 1970.

*No. 67-Pres./71.*—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

*Name and rank of the officer*

Shri Prahlad Kishore Mehrotra,
Deputy Superintendent of Police, (*Officiating*),
Budaun,
Uttar Pradesh.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

Punjab Singh was a notorious criminal of Police Station Bilsi in Budaun district of Uttar Pradesh. He committed a number of murders. On 24th May, 1970, when Shri Ram Kishan, a resident of village Akauli had gone to the Police Station for lodging a report in respect of kidnapping of his son by Punjab Singh, his house was looted in broad day light by Punjab Singh and his associates. The Station Officer of Bilsi Police Station approached Shri Prahlad Kishore Mehrotra for apprehending the criminal. On 25th May, 1970 the Police force led by Shri Mehrotra cordoned the village. The Police party was divided into four groups. While three of the groups were led by Sub-Inspector of Police, the 4th group was under the charge of Shri Mehrotra. Punjab Singh got information about the cordoning of the village by the Police. He ran out of his house and got on the roof top of a house and opened fire on the Police party. Shri Mehrotra asked Punjab Singh to surrender but instead of surrendering Punjab Singh threw hand grenade on the Police party and thus injured two constables seriously. This was followed by exchange of heavy fire bttween the Police party and Punjab Singh. During the course of the fire Punjab Singh fired at Shri Mehrotra but Shri Mehrotra escaped death narrowly. Shri Mehrotra then gave a final warning to Punjab Singh to surrender but when his warning had no effect, he crawled towards the dacoit in disregard of his personal safety and unmindful of the heavy firing by Punjab Singh. As soon as Punjab Singh raised his head to fire, Shri Mehrotra fired at him and killed him.

In the encounter Shri Prahlad Kishore Mehrotra not only displayed gallantry but also exhibited exceptional leadership and determination.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 25th May, 1970.

NAGENDRA SINGH, Secy. to the President

## CABINET SECRETARIAT

### Department of Personnel

### RULES

*New Delhi, the 9th October,* 1971.

*No. 8/36/71-CS.II.*—The rules for a limited departmental competitive examination for inclusion in the Select List for Grade II of the Central Secretariat Stenographers Service to be held by the Secretariat Training School in April, 1972, are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the select list will be specified in the Notice issued by the School. Reservations shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Castes/Tribes Lists (Modification) Order, 1956, read with the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1956, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Secretariat Training School in the manner prescribed in Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the School.

4. *Conditions of eligibility.*—Any permanent or temporary regularly appointed Grade III officer of the Central Secretariat Stenographers Service who satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination :

(a) *Length of service.*—He should have, on the crucial date, i.e. on 1-8-72 rendered not less than three years' approved and continuous service in Grade III of the Service.

NOTE.—Grade III officers who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority, and those having a lien in Grade III of the Central Secretariat Stenographer Service will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

(b) *Age.*—He should not be more than 40 years of age on the 1st August, 1972.

NOTE.—The age limit of 40 years will apply to the examinations to be held in 1972 and 1973 only. Thereafter the age limit will be 35 years.

(c) The upper age limit prescribed above will be further relaxable—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribes;

(ii) Up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iv) up to a maximum of five years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry, and has received education through the medium of French at some stage;

(v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar).

(ix) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963:

(x) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(xi) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof; and

(xii) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

SAVE AS PROVIDED ABOVE, THE AGE LIMITS PRESCRIBED ABOVE SHALL IN NO CASE BE RELAXED.

(d) *Stenography Test* :—Unless exempted from passing the School's Stenography Test for the purpose of confirmation or continuance in Grade III of the Central Secretariat Stenographers Service he should have passed this Test on or before the date of notifications of the examination.

NOTE—Grade III Stenographers who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority and those having a lien in Grade III of the Service will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

This, however, does not apply to a Grade III Stenographer who has been appointed to an ex-cadre post or to another Service on "transfer" and does not have a lien in Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service.

5. The decision of the School as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the School.

7. Candidates must pay the fee prescribed in Annexure I to the School's Notice.

8. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the School to be a conduct which would disqualify him for admission to the examination.

9. A candidate who is or has been declared by the School guilty of impersonation of of submitting fabricated document or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaing admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall, or of misbehaviour in the examination hall may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,—

(a) be debarred permanently or for a specified period by the School from admission to any examination or appearance at any interview held by the School for selection of candidates; and

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules.

10. After the examination, the candidates will be arranged by the School in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the School to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List of Grade II of the Central Secretariat Stenographers Service upt o the required number.

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the General standard, be recommended by the School by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for inclusion in the Select List of Grade II of the Central Secretariat Stenographer Service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

NOTE—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in the Select List for Grade II of the Central Secrttariat Stenographers Service on the results of the examination is entirely within the competence of Covernment to decide. No candidate will therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination as a matter of right.

11. The form and manner of communication of the result of the examinations to individual candidates shall be decided by the School in its discretion and the School will not enter into correspondence with them regarding the result.

12. Success in the examination confers no right to selection, unless Government are satisfied, after such enquiry of

may be considered necessary, that the candidate is eligible and suitable in all respects for selection.

13. A candidate, who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment in the Central Secretariat Stenographers Service, or otherwise quits the Service or severs his connection with it, or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on "transfer" and does not have a lien in Grade III of the Central Secretariat Stenographers Service will not be eligible for appointment on the results of this Examination.

This, however, does not apply to a Grade III Stenographer who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

M. K. VASUDEVAN, Under Secy.

## APPENDIX

The subjects of the written examination, the time allowed and the maximum marks for each will be as follows :—

PART A—WRITTEN TEST

| Subject | Time Allowed | Maximum Marks |
|---|---|---|
| (i) English | 3 hours | 100 |
| (ii) General Knowledge | 3 hours | 100 |

*Part B*—SHORTHAND TESTS IN HINDI OR IN ENGLISH (FOR THOSE WHO QUALIFY AT THE WRITTEN TEST). 200 Marks.

NOTE—Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters, and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

*Part C*—Evaluation of record of service of such of the candidates as may be decided by the School in their discretion carrying a maximum of 100 marks.

2. The syllabus for the Written Test and the scheme of the Shorthand Tests will be as shown in the Schedule to this Appendix.

3. Candidates are allowed the option to answer paper (ii) General Knowledge, of the Written Test, either in Hindi (Devanagari) or in English. The option will apply to the complete paper and not to a part thereof.

Candidates who opt to answer the aforesaid paper in Hindi (Devanagari) will be required to take the Shorthand Tests, also in Hindi (Devanagari) only; and candidates who opt to answer the aforesaid paper in English will be required to take the Shorthand Tests also in English only.

NOTE 1.—Candidates desirous of exercising the option to answer paper (ii) General Knowltdge, of the Written Test and take Shortrand Tests in Hindi (Devanagari), should indicate their intention to do so in Col. 6 of the application form. Otherwise, it will be assumed that they will take the Written Test and Shorthand tests in English.

The option once exercised shall be treated as final; and no request for alteration in the said column shall be entertained.

NOTE 2.—A candidate wishing to take the examination at an Indian Mission, abroad, and exercising the option to answer paper (ii) General Knowledge and take the Stenography Tests in Hindi in terms of para 3 above, may be required to appear at his own expense, for the Stenography Tests at any Indian Mission abroad where necessary arrangements for holding such tests are available.

4. Paper (i) English, of the Written Test, must be answered in English by all candidates.

5. Candidates who satisfy the minimum qualifying standard in the dictation at 120 words per minute will rank above the candidates who obtain the same standard in the dictation at 100 words per minute, persons in each group being arranged *inter se* in order of their merit as disclosed by the aggregate marks awarded to each candidate (cf. Part B of the Schedule below).

6. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

7. The School have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

8. Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test as may be fixed by the School in their discretion will be called for shorthand test.

9. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

10. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

11. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

## SCHEDULE

### *PART—A*

*Standard and syllabus of the written test*

NOTE.—The standard of the question papers in Part A will be approximately that of the Matriculation examination of Indian University.

*English*—The paper will be designed to test the candidates knowledge of English Grammar and Composition, and generally their power to understand and ability to write correct English. Account will be taken of arrangement, general expression and workmanlike use of the language. The paper may include questions on essay writing; precis writing; drafting; correct use of words; easy idioms and prepositions; direct and indirect speech, etc.

*General Knowledge*—Some knowledge of the Constitution of India, Five Year Plans, Indian History and Culture, general and economic geography of India, current events, everyday science and such matters of every day observation as may be expected of an educated person. Candidates' answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text book.

### *PART—B*

*Scheme of Shorthand Tests*

The Shorthand Tests in English will comprise two dictation tests, one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for ten minutes, which the candidates will be required to transcribe in 45 and 50 minutes respectively.

The Shorthand Tests in Hindi will comprise two dictation tests, one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for 10 minutes, which the candidates will be required to transcribe in 60 and 65 minutes respectively.

## MINISTRY OF STEEL AND MINES

**(Department of Steel)**

*New Delhi, the 15th September* 1971

### RESOLUTION

*No. RM-5(6)/70.*—In partial modification of Resolution No. RM-5(6)/70, dated 7-1-1971, published in the Gazette of India on 6-2-1971 (as amended from time to time), regarding setting up of an Expert Committee on Refractories, Government have decided that Shri D. N. Nandi, Scientist, Central Glass & Ceramic Research Institute, Jadavpur, will be a member of the Committee in place of Shri J. C. Banerjee, with immediate effect.

### ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. RAMJI, Dy. Secy.

## MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

*New Delhi, the 10th September* 1971

RESOLUTION

*No.* 34(8)/68-*CON.IND.*—In continuation of this Ministry's Resolution No. 34(8)/68-L.IND(II)(2), dated the 15th October, 1969, read with these of the 27th April, 1970 and 31st October, 1970, Government have decided to include Shri B. K. P. Chibber, Superintending Engineer (Refractories), Bokaro Steel Ltd, Bokaro Steel City as a Member in the Panel for Refractory Industry.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. SITARAMAN, Dy. Secy.

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

**(Department of Family Planning)**

*New Delhi*-11, *the 16th September* 1971

RESOLUTION

*No.* 3-28/71-*PLY.*—With a view to improving the working efficiency and for speedier decision taking, the Government of India have decided that a Board for Family Planning should be constituted under the general supervision of the Government of India in the Ministry of Health and Family Planning (Department of Family Planning).

2. The Board for Family Planning will consist of the following :—

*Chairman*

1. Joint Secretary (FP), Department of Family Planning.

*Members*

2. Commissioner, Family Planning.
3. Marketing Executive.
4. Deputy Secretary (Management).
5. Chief (Media).
6. Internal Financial Adviser.

*Member-Secretary*

7. Deputy Secretary (P), Department of Family Planning.

3. The function of the Board shall be :—

1. to take decision on all matters relating to the Family Planning Programme including authorisation of financial sanctions within the budget provision voted by Parliament, and powers vested in the Department of Family Planning.
2. To conduct periodical review of the progress of the Family Planning Programme and to prescribe such reports and returns as it may deem necessary for the purpose;
3. To consider the pattern of assistance to the States, other Ministries/Departments concerned with the Family Planning Programme and all proposals for modification thereof;
4. To consider proposals for plan allocations and annual plan outlays for the programme;
5. To locate deficiencies and loopholes, if any in the implementation of the programmes and to suggest remedial steps wherever necessary;
6. To ensure the achievement of physical targets prescribed under the various schemes as also the proper utilisation of the financial outlays with a view to ensuring that there are no undue surrenders of allocated funds;
7. To examine and approve from time to time the delegation of such powers both administrative and financial as it may deem necessary to Officers of the Department of Family Planning.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution may be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India.

ORDERED that the resolution may be published in the Gazette of India for general information.

K. K. DAS, Secy.

## MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

**(Department of Culture)**

*New Delhi, the 17th September* 1971

*No. F.*22-1/69-*CAI*-2.—In partial modification of Ministry of Education and Youth Services Notification of even number dated the 18th March 1971, Shri Bakhshish Singh Nijjar, looking after the Directorate of Archives, Punjab is appointed as Ordinary Member of the Indian, Historical Records Commission, in place of Shri Gurbachan Singh, I.A.S.

His term of appointment will for the present be up to 31st October, 1971.

SARAN SINGH, Under Secy.

## MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

**(Transport Wing)**

*New Delhi, the 20th September* 1971

RESOLUTION

*No.* 6-*PG*(26)/71.—The Government of India have received the Administration Report of the Port of Cochin for the year 1969-70. The salient features of the Report are given below :—

1. *Financial Results*

With effect from 1969-70 the accounts of the Cochin Port Trust have been prepared in the revised forms based on commercial principles and the Income and Expenditure of the Port Trust during the year have been accounted for on an accrual basis.

During 1969-70, the total income of the Port was Rs. 414.55 lakhs (Operating income Rs. 370.06 lakhs plus Finance and Miscellaneous income Rs. 44.49 lakhs) and the total expenditure, excluding appropriations to Reserve and Repayment of Loans, was Rs. 365.65 lakhs (Operating Expenditure Rs. 281.73 lakhs plus Finance and Miscellaneous Expenditure Rs. 83.92 lakhs) leaving a net surplus of Rs. 48.90 lakhs. The net surplus, after transfers including provision for repayment of Government and outside loan, was Rs. 27.13 lakhs.

With the introduction of the Revised System of Accounting, the Renewals and Replacements Fund and the Revenue Reserve Fund have been abolished. The nomenclature of the 'Accident Fund' has also been changed to 'General Insurance Fund'. Provision for depreciation is being made on historical cost of assets according to straight line method. For the year 1969-70, a sum of Rs. 25.30 lakhs has been provided for depreciation on an *ad hoc* basis pending the completion of physical verification of assets.

The position with regard to the balances in the various reserve funds at the end of the financial year 1969-70 was satisfactory. The closing balances in the funds were as under :—

Capital Reserve—862.73 lakhs.
General Reserve Fund—201.85 lakhs.
General Insurance Fund—31.96 lakhs.
Pilotage Reserve—47.59 lakhs.

The total Capital debt of the Port at the close of the financial year stood at Rs. 608.13 lakhs consisting of Rs. 561.77 lakhs as loans from Government and Rs. 46.36 lakhs from other sources.

2. *Traffic*

The volume of traffic handled at the Port recorded a fall from 51.90 lakhs tonnes in the previous year to 47.94 lakhs tonnes during 1969-70. While exports increased slightly to

14.25 lakh tonnes from 14.07 lakhs tonnes handled during the year 1968-69, imports declined during the year with a traffic or 33.68 lakh tonnes during 1969-70 as against 37.83 lakh tonnes during the previous year. The significant reduction in imports was mainly due to fall in the import of food-grains, crude oil and fertilizers.

*Shipping*

The number of vessels, excluding sailing vessels, which entered the port during 1969-70 was 1060 with a total NRT of 48.67 lakhs. The corresponding figures for the previous year were 1083 and 49.49 lakhs NRT. 70 sailing vessels with a tonnage of about 9,233 visited the port during the year as against 85 with a tonnage of 9,754 during 1968-69.

3. *Capital Expenditure*

The total expenditure on Plan works amounted to Rs. 130.13 lakhs and that on Non-Plan works to Rs. 3.45 lakhs. This expenditure was met largely from Government loan (Rs. 130.00 lakhs) and partly from Port's own resources (Rs. 3.58 lakhs).

Some of the important works completed during the year or in progress are mentioned below :—

*Works completed*

1. Construction of an Open Berth south of Ernakulam Wharf.

2. Construction of a warehouse 400′ × 90′.

3. Construction of a combined structural workshop and welding shop at workshop area.

4. Provision of mooring facilities for the fire float at South Tanker Berth.

5. Construction of two mooring dolphins at the South Tanker Berth for fire float.

6. Commissioning of 10-ton semi-electrically operated overheat crane.

7. Erection of 500 K.W. generating set.

*Works in Progress*

1. Stacking Yard in the Open Berth.

2. Improvements to water supply on Willingdon Island.

3. Provision of a fixed fire fighting installation at Oil Tanker Berth.

4. Provision of additional fender dosphins at North Tanker Berth.

5. Construction of a mooring dolphin at South Tanker Berth.

6. Extension to Open Berth in the Ernakulam Channel.

7. Purchase of four wharf cranes for Open Berth.

4. *Labour and Welfare Measures*

The Labour-management relations were cordial during the year under review. Labour interests were safeguarded and welfare measures administered as usual through the Labour Branch of the Port.

5. Government view with satisfaction the work done by the Cochin Port Trust Board during the year under review.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. NARAYANAN, Jt. Secy.

## MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

*New Delhi, the 14th September 1971*

RESOLUTION

*No. EL.II*-34(37)/71.—The existing entry No. (viii) in this Ministry's Resolution No. EL.II-34(37)/71, dated the 17th June, 1971 reconstituting the Northern Regional Electricity Board shall be replaced by the following :—

(viii) The Chairman, Himachal Pradesh State Electricity Board.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the Government of Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Haryana, Himachal Pradesh and the Union Territory of Delhi and Chandigarh and the Bhakra Management Board, the Ministries of the Government of India, the Prime Minister's Secretariat, the Secretary to the President, the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. N. VINZE, Jt. Secy.

## MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

**(Department of Labour & Employment)**

*New Delhi, the 16th September 1971*

RESOLUTION

*No. A*-11016/1/70/*LR-IV*.—The term of the Committee on Automation set up by the Government of India *vide* Resolution No. 31/7/68-LR-IV, dated the 19th July, 1969, published in the Gazette of India Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 19th July, 1969 and extended up to 28th February, 1971 *vide* Resolution No. A-11016/1/70-LR-IV, dated the 20th June, 1970, and up to 31st May, 1971 *vide* Resolution No. A-11016/1/70-LR-IV, dated the 6th January, 1971 and up to the 30th September, 1971 *vide* Resolution No. A-11016/1/70-LR-IV, dated the 21st May, 1971, is hereby further extended up to the 31st December ,1971 or till the date the work of the Committee is completed whichever is earlier.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/Administrations of Union Territories and all others concerned.

R. ANANDAKRISHNA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971